उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या–62/2011–12

राज्य बनाम विशुन मियां।

आदेश

24/9/16

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक–1243/रा0 दिनांक 02/08/2016 से संदेहात्मक जमाबन्दी अभिलेख संख्या–62/2011–12 राज्य बनाम विशुन मियां, मौजा–चुवावर, अंचल–चन्दवारा, अग्रतर कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा आदेश फलक की पृ0सं0–08 पर अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन अंकित किया गया है।

प्रस्ताव के अनुसार मौजा–चुवावर, खाता संख्या–1/7, प्लॉट नं0–00, रकवा–0.65 एकड़ भूमि की जमाबन्दी हल्का कार्यालय में उपलब्ध पंजी II के पृष्ट संख्या 13/01 पर विशुन मियां के नाम से दर्ज है, जो बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के कायम की गयी है। पंजी II में प्राधिकार कॉलम में बन्दोबस्ती वाद दर्ज नहीं है।

अंचल अधिकारी, चन्दवारा के द्वारा अभिलेख के आदेश फलक संख्या 6 में पारित आदेश में अंकित है कि राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन एवं पंजी II की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पंजी II के प्राधिकार कॉलम में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश अंकित नहीं है और न दिनांक अंकित है। पक्षकारों के बयान अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन एवं राजस्व कर्मचारी व अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उक्त जमाबन्दी अवैध है।

अंचल अधिकारी, चन्दवारा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा से अभिलेख प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 06–08–2016 को विपक्षी को नोटिस निर्गत कर अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि खाता नं0–1/13, मौजा चुवावर, थाना–चौपारण, हाल थाना चंदवारा, जिला हजारीबाग, हाल जिला कोडरमा के सर्वे खतियान गैर मजरूआ खास दर्ज है, जिसका जमीन्दार गंगाधर सामंतो है। जमीन्दार गंगाधर सामंतो ने विशुन मियां के दखल कब्जा को देखते हुए जमीन्दारी के समय में रकवा 0.65 एकड़ विशुन मियां पिता–बिगन मियां के नाम से बन्दोबस्त कर दिये। जमींदार से जमीन प्राप्त किये तथा जमींदारी उन्मूलन के बाद राज्य सरकार को मालगुजारी देकर सरकारी मालगुजारी रसीद प्राप्त किये हैं जो पंजी–II के पृष्ट संख्या–13/1 में जमाबन्दी दर्ज है। उनके द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकार करते हुए अंचल अधिकारी, चन्दवारा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश को निरस्त करते हुए बन्दोबस्तधारी विशुन मियां वगैरह के नाम से चल रहे जमाबन्दी को कायम रखने और सरकारी रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा द्वारा पंजी–II में जमाबन्दीधारक के नाम से कायम जमाबन्दी में सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर, दिनांक और बन्दोबस्ती वाद संख्या का उल्लेख नहीं होने के कारण राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत कार्रवाई हेतु उक्त जमाबन्दी रद्द करने की कार्रवाई को सरकार के हित में न्यायोचित बतलाया गया।

सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से सहमत होते हुए अंचल अधिकारी, चन्दवारा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा और राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 के आलोक में मौजा–चुवावर, खाता संख्या–1/7, प्लॉट नं0–00, रकवा–0.65 एकड़ पर विशुन मियां पिता–बिगन मियां के नाम से कायम जमाबन्दी, Schedule-1 की जमाबन्दी धारा 4(h) of Bihar Land Reform Act 1950 के अन्तर्गत रद्द की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को आदेश की सम्पुष्टि हेतु भेंजे।

Details of Land :- मौजा–चुवावर, खाता संख्या–1/7, प्लॉट नं0–00, रकवा–0.65एकड़।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, कोडरमा।

उपायुक्त
कोडरमा।